

बिहार विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल बने उपमुख्य सचेतक

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2022 को बिहार विधानपरिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सहि के आदेश के बाद दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक बनाने की अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री और सदन के नेता नीतिश कुमार ने विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और एमएलसी (MLC) नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक पद पर मनोनीत किया।
- गौरतलब है कि मुख्य सचेतक और सचेतक वह राजनीतिक व्यक्ति होता है, जो सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिये ज़िम्मेदार होता है। आमतौर पर सचेतक पार्टी के सदस्यों को मुख्य मुद्दों पर पार्टी के विचार के साथ बने रहने, पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही किसी मुद्दे पर सदन में मत डालने का निर्देश देता है। कभी-कभी सदन में ऐसी परिस्थिति और मुद्दे आते हैं, जहाँ पर वोट के बँटवारे का डर दल को होता है।
- पार्टी के सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान न करें, इसलिये मुख्य सचेतक वहपि जारी करता है। वहपि के खिलाफ मतदान करने पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने के लिये कोई वहपि जारी नहीं किया जा सकता।